

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं0-05, मुरादाबाद

पत्रावली लोक अदालत में पेश अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल किया। अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता हैं।

ए 0 सी0 जे0 एम 0
कोर्ट सं-05, मुरादाबाद